भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/88/5/2022 **दिनांक:** 11.05.2022

प्रति, सभी बीमाकर्ता

विषय: बीमांकन एवं पुनर्बीमा विवरणियाँ – हार्ड प्रति की प्रस्तुति समाप्त करना

1. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अधीन जारी किया जाता है। यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बीमाकर्ताओं से अपेक्षित नहीं है कि वे बीमांकिक मूल्यांकन अथवा पुनर्बीमा से संबंधित किसी भी रिपोर्ट, विवरणी अथवा अन्य दस्तावेज की हार्ड प्रतियाँ आईआरडीएआई प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करें। इसके बजाय, दस्तावेजों की पीडीएफ और एक्सेल प्रतियाँ निम्नलिखित ई-मेल आईडी को प्रेषित की जाएँ:

   2.1. actuarial-valuation-l@irdai.gov.in (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए)

   2.2. actuarial-valuation-nl@irdai.gov.in (अन्य सभी बीमाकर्ताओं के लिए)

3. ऐसे सभी दस्तावेजों की पीडीएफ प्रतियों पर अपेक्षित हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। प्रत्येक पृष्ठ पर आद्यक्षर (इनीशियल्स) करने अथवा डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

4. तथापि, बीएपी के माध्यम से विवरणियों का प्रस्तुतीकरण मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा।

PARMOD KUMAR ARORA
Digitally signed by PARMOD KUMAR ARORA

(पी. के. अरोड़ा)
सदस्य (बीमांकक)